पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 224/2018

अनवान :

1. ताराचन्द पुत्र श्री जसराज जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. जसराज पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी।
2. रमेशकुमार पुत्र जसराज जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी।
3. पवनकुमार पुत्र कृष्णा पुत्री जसराज जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा हाल निवासी बैरासर तहसील राजगढ़।
4. प्रवीणकुमार पुत्र कृष्णा पुत्री जसराज जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा हाल निवासी बैरासर तहसील राजगढ़।
5. सुनिता पुत्री कृष्णा पुत्री जसराज जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा हाल निवासी बैरासर तहसील राजगढ़।
6. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान में परिवर्तित भारतीय स्टेट बैंक भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरीछोटी के खाता सं0 29/31 के खसरा सं0 35/1 की 3.743 है0, खसरा सं0 267/1 की 1.733 है0 कुल 5.4760 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी जसराज के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 जसराज का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 3 ता 5 ने वाद कृषि भूमिं में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी 2 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-2-20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 224/2018

अनवान :

1. ताराचन्द पुत्र श्री जसराज जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. जसराज पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी।
2. रमेशकुमार पुत्र जसराज जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी।
3. पवनकुमार पुत्र कृष्णा पुत्री जसराज जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा हाल निवासी बैरासर तहसील राजगढ़।
4. प्रवीणकुमार पुत्र कृष्णा पुत्री जसराज जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा हाल निवासी बैरासर तहसील राजगढ़।
5. सुनिता पुत्री कृष्णा पुत्री जसराज जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा हाल निवासी बैरासर तहसील राजगढ़।
6. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान में परिवर्तित भारतीय स्टेट बैंक भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी

निर्णय **दिनांक :** 17-02-2

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा के रोही मौजा जिगासरीछोटी के खाता सं0 29/31 के खसरा सं0 35/1 की 3.743 है0, खसरा सं0 267/1 की 1.733 है0 कुल 5.4760 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी जसराज के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वादी व प्रतिवादी सं0 2 प्रतिवादी जसराज के पुत्र है एवं प्रतिवादी सं0 3 से 5 प्रतिवादी जसराज की मृतक पुत्री कृष्णा के वारिस है। उपर वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी जसराज को अपने पिता मोतीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति है जो पीढी दर पीढ़ी विरासतन प्राप्त होती आ रही है। उपर वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 2 से 5 का प्रतिवादी जसराज के साथ संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति होने के कारण जन्म से हक हिस्सा निहित है। वाद भूमि प्रतिवादी जसराज के नाम राजस्व रिकार्ड में परिवार का कर्ता खानदान होने के नाते दर्ज हो गई। उपर वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 5 का भी हक व हिस्सा निहित है।

वाद कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 3 से 5 की माता कृष्णा का प्राप्त होने वाला हक हिस्सा अपने सगे मामा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के हक में बहिस्सा बराबर तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है एवं प्रतिवादी सं0 1 ने अपने हक हिस्सा की

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

सम्पूर्ण भूमि अपने दोनों पुत्रों वादी व प्रतिवादी रमेश के पक्ष में तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है। चूकि प्रतिवादी जसराज के नाम से रोही जिगासरी बड़ी के खसरा सं0 400 में 4.5200 है0 खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसकी पासबुक की चित्रप्रति संलग्न है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 7 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 को वकील वादी ने तर्क किया।

साक्ष्य वादी में वादी ताराचन्द के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम जिगासरीछोटी के खाता सं0 29/31 सम्वत् 2072 –75 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम जिगासरीछोटी सम्वत् 2056 **प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।**

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद कृषि भूमि प्रतिवादी जसराज को अपने पिता मोतीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति है वाद कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 2 से 5 का प्रतिवादी जसराज के साथ हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम जिगासरीछोटी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा अंकित किया है कि वाद कृषि भूमि प्रतिवादी जसराज को अपने पिता मोतीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति है जो पीढी दर पीढ़ी विरासतन प्राप्त होती आ रही है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम जिगासरीछोटी सम्वत् 2056 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा मोती वल्द रामु के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता से विरासतन प्राप्त होना व वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में जसराज के वारिसान में पत्नी रूकमादेवी, तीन पुत्र रमेश कुमार, ताराचन्द होना व एक पुत्री कृष्णा फौत होना जिसके वारिसान में पति दरियासिंह, दो पुत्र पवन कुमार, प्रवीण कुमार व एक पुत्री सुनीता होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। प्रतिवादी सं0 3 व 5 ने वाद कृषि भूमि में अपनी माता कृष्णा की मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाला हिस्सा अपने मामा वादी ताराचन्द व प्रतिवादी सं0 2 रमेश कुमार के पक्ष मे बहिस्सा बराबर त्याग दिया है इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 ने भी वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है जिसे उन्होने राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरीछोटी के खाता सं0 29/31 के खसरा सं0 35/1 की 3.743 है0, खसरा सं0 267/1 की 1.733 है0 कुल 5.4760 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमे प्रतिवादी जसराज के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 जसराज का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 3 ता 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी 2 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17-02-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारेठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.25 14:27:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: